न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्रीकान्त व्यास, आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या : 210/13 (वाद)
GCMS No. : 2013/00415

1. श्री केसरसिंह पिता गोरधनसिंह राजपूत निवासी भीमल तह. मावली।
2. निर्भयसिंह पिता गोरधनसिंह राजपूत नाबालिग बविलायत माता सोहनकुंवर पत्नी गोरधनसिंह राजपूत निवासी भीमल तह. मावली।
3. श्री रतनसिंह पिता गोरधनसिंह राजपूत नाबालिग बविलायत माता सोहनकुंवर पत्नी गोरधनसिंह राजपूत निवासी भीमल तह. मावली।
4. श्री लिलेन्द्रसिंह पिता गोरधनसिंह राजपूत नाबालिग बविलायत माता सोहनकुंवर पत्नी गोरधनसिंह राजपूत निवासी भीमल तह. मावली।
5. सन्तोष कुंवर पुत्री गोरधनसिंह राजपूत नाबालिग बविलायत माता सोहनकुंवर पत्नी गोरधनसिंह राजपूत निवासी भीमल तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री गोरधनसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी भीमल तह. मावली।
2. श्री भीमसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी भीमल हाल रामदेवजी का पाडा खोखरापला, देबारी तह. गिर्वा।
3. श्री किशनसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी भीमल हाल रामदेवजी का पाडा खोखरापला, देबारी तह. गिर्वा।
4. श्री अभयसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी भीमल हाल रामदेवजी का पाडा खोखरापला, देबारी तह. गिर्वा।
5. श्रीमती लच्छुकुंवर पत्नी भंवरसिंह राजपूत निवासी भीमल हाल रामदेवजी का पाडा खोखरापला, देबारी तह. गिर्वा।
6. श्री टिकमचन्द पिता शंकरलाल माथुर निवासी शंकर निवास अम्बामाता उदयपुर तह. गिर्वा।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)।
8. पटवारी, पटवार हल्का भीमल तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री सोहनसिंह राणावत, अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री हीरालाल बुनकर, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 6

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 जा.दी.
निर्णय

दिनांक : 14.11.2022

1. वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भीमल पटवार हल्का भीमल की वादग्रस्त भूमि वादीगण की

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.11.23 10:42:05 IST
Reason: SelfAttested

पैतृक सम्पति होना बताकर प्रतिवादी सं. 6 के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करने हेतु घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया हैं। प्रकरण को दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 6 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. एवं धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद के शीर्षक में वादी सं. 1 की उम्र नहीं लिखी ओर वादी सं. 2, 3, 4, 5 की उम्र क्रमशः 17, 15, 13, 11 वर्ष लिखा जबकि वादग्रस्त भूमि के विक्रय पत्र आज से 22 वर्षों पूर्व यानि वादीगण के जन्म से पहले उनके पिता प्रतिवादी सं. 1 गोरधन सिंह, प्रतिवादी सं. 2 से 5 एवं लक्ष्मणसिंह पिता माधु सिंह द्वारा जवाब प्रस्तुतकर्ता के पक्ष में निष्पादित हूए, कब्जा दिया, नामान्तकरण की कार्यवाही हुई और राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हुआ जिससे सअधिकार जवाब प्रस्तुतकर्ता गत 22 वर्षों से खुले तौर से निरन्तर निराबाध खातेदार कब्जेदार है यह तथ्य वादीगण, प्रतिवादी सं. 1 से 5 तथा हरआम खास के ज्ञान में है। जवाब प्रस्तुतकर्ता के मजदूर के माध्यम से जान माल के खतरे की धमकी देकर 40 लाख रूपये एठना चाहा तो पुलिस उप अधीक्षक वल्लभनगर एवं थाना मावली में कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 24.07.2013 को दिया जिससे एवं जमीनों के भाव बढने से ब्लैकमेल करने की बदनियत से मिथ्या बनावटी वाद जो माननीय न्यायालय में विधि में वर्जित है उसे पेश किया है। विक्रेता पक्ष रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के अपने कृत्यों से विमुख नहीं हो सकते और विक्रेता पक्ष के विधिक प्रतिनिधी भी विबन्धित हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 5 ने दुरभि सन्धी कर वाद पेश किया, कराया हैं। भूमि पैतृक का कथन भी गलत एवं विधि विरूद्व हैं। वादी 2, 3, 4, 5 गलत रूप से संरक्षक दर्शायी श्रीमती सोहनकुंवर पत्नी गोरधनसिंह को अपने पति, परिवार द्वारा जमीन बेच कर कब्जा प्रतिवादी सं. 6 को सौंपने और कब्जा प्रतिवादी सं. 6 का निरन्तर निराबाध 22 वर्षों से है का ज्ञान होते हुए गलत वाद एवं गलत शपथ पत्र पेश किया हैं।

2. यह कि विक्रय पत्रों को सक्षम न्यायालय से निरस्त कराये बिना वाद माननीय न्यायालय आपमें विधि में वर्जित हैं। विक्रय पत्र के बारे में यह लिख देने से कि विक्रय पत्र शून्य एवं निःप्रभावी है जिससे विक्रय पत्र शून्य एवं निःप्रभावी नहीं होते हैं। यह कथन भी गलत है कि प्रतिवादी सं. 1 से 5 ने भूमि बेच दी जब कि 1/2 हिस्सा लक्ष्मणसिंह पिता माधुसिंह ने बेचा और 1/2 हिस्सा प्रतिवादी 1 से 5 ने बेचा। लक्ष्मणसिंह वाली बात को भी बेईमानी पूर्वक छिपाया हैं। प्रकरण में पक्षकार भी 1/2 हिस्सा जो लक्ष्मणसिंह ने बेचा उन्हे नहीं बनाया हैं। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में हक नहीं, कब्जा नहीं, खातेदारी नहीं। मात्र वादपत्र बनाकर वाद पत्र के कथन कर देने से हक हिस्सा कब्जा उत्पन्न नहीं होता हैं। माननीय न्यायालय में बिना क्षेत्राधिकार के वाद पेश हुआ हैं। दिनांक 05.08.13 को वादीगण को प्रतिवादी सं. 6 ने बेदखल करने की मौके पर धमकी देने का कथन वादी पक्ष कर रहा है जो मिथ्या बनावटी हास्यास्पद है क्योंकि वादीगण का कब्जा नहीं इसलिए वादीगण को बेकब्जा करने के कथन काल्पनिक हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 5 के दुरभि संधि होने से यह लिखना कि प्रतिवादी सं. 1 से 6 वादीगण को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे यह सारे कथन कपोल कल्पित हैं। गत 22 वर्षों से निरन्तर एक मात्र खातेदार, कब्जेदार प्रतिवादी सं. 6 हैं। वादीगण, प्रतिवादी सं. 1 से 5 या अन्य किसी का वादग्रस्त भूमि में लेश मात्र भी हक हिस्सा कब्जा अधिकार निहित नहीं हैं।

3. विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त कृषि भूमि को प्रतिवादी सं. 6 ने वादीगण के पिता गोरधनसिंह (प्रतिवादी सं. 1) व प्रतिवादी सं. 2 से 5 का संयुक्त 1/2

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.11.23 10:42:05 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सा और लक्ष्मणसिंह पिता माधुसिंह राजपूत का 1/2 हिस्सा दिनांक 20.02.1991 (22 वर्षों पूर्व) को रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों से क्रय किया। नामान्तरकरण स्वीकृत हुए ओर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद होकर रेकार्डेड खातेदार कब्जेदार हैं। विक्रय विलेखों को शुन्य, निष्प्रभावी, निरस्त करने का क्षेत्राधिकार माननीय सिविल न्यायालय को है और वाद बिना वाद कारण उत्पन्न हुआ पेश हुआ जिससे वाद विधि में वर्जित होने से पोषणीय नहीं होकर निरस्तनीय हैं।

4. अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं करने पर पूर्व में जवाब प्रार्थना पत्र का अवसर बन्द किया जा चुका हैं। प्रकरण में दिनांक 30.01.2017 को प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का खारिज किया जा चुका था, जिसकी अपील प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 6 द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में की गई, जिसके अपील नम्बर 1455/2017 टीकमचन्द बनाम केसरसिंह है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा दिनांक 24.07.19 को निर्णय पारित कर न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 30.01.2017 को निरस्त किया जाकर प्रतिवादी सं. 6 निगराकार द्वारा प्रस्तुत किए गए आपत्ति प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11, सिविल प्रक्रिया संहिता में जो बिन्दु उठाए है उन पर विस्तार से परीक्षण करते हुए विस्तृत रीजण्ड व स्पीकिंग निर्णय पारित किये जाने के आदेश दिये जाने पर प्रकरण में पुनः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

5. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 6 द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं नजीर RRT 2010(1) Page 124 पेश कर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार कर वादीगण का वाद खारिज किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस में वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 6 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। हमने दोनो पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने। प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीर का सद्भावनापूर्वक अवलोकन किया। सर्वप्रथम यह देखना है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 मे क्या प्रावधान है जो निम्न प्रकार है–**वादपत्र का नामंजूर किया जाना– वादपत्र निम्न लिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा।**

(क) जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसे करने में असफल रहता है।

(घ) जहां वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ङ) जहां यह दो प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता है।

(च) जहां वादी नियम 9 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.11.23 10:42:05 IST
Reason: SelfAttested

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। वादीगण द्वारा वाद खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण के विरूद्व पेश किया गया है। हमने वाद पत्र का अवलोकन किया। वाद पत्र के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि मूल पुरूष माधुसिंह के नाम दर्ज थी। जो माधुसिंह की मृत्यु के पश्चात् उसके पुत्र भंवरसिंह व लक्ष्मणसिंह के नाम पर दर्ज हो गई। भंवरसिंह की मृत्यु के पश्चात् भूमि प्रतिवादी सं. 1 से 5 के नाम दर्ज हो गई। वादीगण के पिता गोरधनसिंह ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा व प्रतिवादी सं. 2 से 5 ने 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं. 6 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय किया हैं। वादीगण द्वारा पैतृक सम्पति होने का कथन कर अपने हिस्से की घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है जबकि प्रतिवादी सं. 6 वादग्रस्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.02.1991 से क्रय की है। प्रतिवादी सं. 6 के कथनानुसार उक्त निष्पादित विक्रय पत्र के समय वादीगण का कोई अस्तित्व ही नहीं था। अतः वादीगण का हित निहित नहीं होता हैं। वादग्रस्त भूमि का प्रतिवादी सं. 6 खातेदार होकर प्रतिवादी सं. 6 द्वारा उक्त भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.02.1991 से प्रतिवादी सं. 1 का सम्पूर्ण व प्रतिवादी सं. 2 से 5 का 1/2 हिस्सा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया हैं। इसी विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी सं. 6 का नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदार की हैसियत से दर्ज हुआ। वादीगण वादग्रस्त भूमि में हिस्सें की घोषणा चाह रहे हैं जबकि उक्त भूमि का विक्रय होकर उक्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी सं. 6 के नाम दर्ज हैं। प्रतिवादी सं. 6 सद्भावी क्रेता होकर पूर्ण प्रतिफल अदा कर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि क्रय की हैं एवं क्रय समय में वादीगण का जन्म ही नहीं होने से वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण का कोई हक नहीं बनता हैं। प्रतिवादी सं. 1 HUF कर्ता खानदान होने से उसे अपनी भूमि के उपयोग उपभोग एवं जायज जरूरतो की पूर्ति हेतु विक्रय, रहन, बैह बक्षीस करने का पूर्ण अधिकार हैं। अतः ऐसी स्थिति में वादीगण का वादग्रस्त आराजीयात में कोई हक नहीं हैं एवं इस न्यायालय से किसी प्रकार की दाद प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद बार्ड बाय लॉ होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत आने से बार्ड बाय लॉ पाया जाता है। अतः वादीगण का वाद बार्ड बाय लॉ होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत् आने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार योग्य पाया जाता है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी सं. 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. एवं धारा 151 जा. दी. का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

प्रतिवादी सं. 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. एवं धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाने से वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकर कर खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.11.23 10:42:05 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास श्रीकान्त व्यास, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री केसरसिंह पिता गोरधनसिंह राजपूत निवासी भीमल तह. मावली।
2. निर्भयसिंह पिता गोरधनसिंह राजपूत नाबालिग बविलायत माता सोहनकुंवर पत्नी गोरधनसिंह राजपूत निवासी भीमल तह. मावली।
3. श्री रतनसिंह पिता गोरधनसिंह राजपूत नाबालिग बविलायत माता सोहनकुंवर पत्नी गोरधनसिंह राजपूत निवासी भीमल तह. मावली।
4. श्री लिलेन्द्रसिंह पिता गोरधनसिंह राजपूत नाबालिग बविलायत माता सोहनकुंवर पत्नी गोरधनसिंह राजपूत निवासी भीमल तह. मावली।
5. सन्तोष कुंवर पुत्री गोरधनसिंह राजपूत नाबालिग बविलायत माता सोहनकुंवर पत्नी गोरधनसिंह राजपूत निवासी भीमल तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री गोरधनसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी भीमल तह. मावली।
2. श्री भीमसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी भीमल हाल रामदेवजी का पाडा खोखरापला, देबारी तह. गिर्वा।
3. श्री किशनसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी भीमल हाल रामदेवजी का पाडा खोखरापला, देबारी तह. गिर्वा।
4. श्री अभयसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी भीमल हाल रामदेवजी का पाडा खोखरापला, देबारी तह. गिर्वा।
5. श्रीमती लच्छुकुंवर पत्नी भंवरसिंह राजपूत निवासी भीमल हाल रामदेवजी का पाडा खोखरापला, देबारी तह. गिर्वा।
6. श्री टिकमचन्द पिता शंकरलाल माथुर निवासी शंकर निवास अम्बामाता उदयपुर तह. गिर्वा।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)।
8. पटवारी, पटवार हल्का भीमल तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 210/13 (वाद) GCMS No. : 2013/00415

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

प्रतिवादी सं. 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. एवं धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाने से वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकर कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 14.11.2022 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.11.23 10:42:05 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली